भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4753

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

शहरी जल पुनर्चक्रण

4753. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकेन्द्रीकृत उपचार संयंत्रों और स्मार्ट पुनः उपयोग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर शहरी जल पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित केरल के तटीय क्षेत्रों और अन्य जल की कमी वाले क्षेत्रों में तेजी से घटते भूजल का पुनर्भरण करने के लिए प्रस्तावित नई योजनाएँ क्या हैं; और

(ग) जल शक्ति अभियान और जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के लिए अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रहे जागरूकता अभियानों की प्रकृति और प्रभाव क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल के राज्य का विषय होने के कारण, जल पुनर्चक्रण सहित जल संसाधन प्रबंधन के संरक्षण, आयोजना, मूल्यांकन, वित्तपोषण और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है, जो उनकी अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता करती है।

जल शक्ति मंत्रालय ने, सतत जल प्रबंधन और संरक्षण प्राप्त करने में राज्यों को सहयोग देने हेतु चल रही पहलों के भाग के रूप में, विकेन्द्रीकृत उपचार संयंत्रों और स्मार्ट रीयूज टेक्नॉलजी के माध्यम से शहरी जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत सरकार औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों सहित गैर-पीने योग्य जल के विभिन्न अनुप्रयोगों में उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और खनन गतिविधियों द्वारा भूजल निष्कर्षण को शासित करने सम्बन्धी विनियम जारी किए हैं।

• 20 केएलडी अथवा इससे अधिक भूजल आवश्यकता वाली अवसंरचना परियोजनाओं (शहरी परियोजनाओं सहित) के लिए एसटीपी स्थापित करना तथा उपचारित जल का उपयोग हरित पट्टी विकास/कार धोने आदि के लिए करना आवश्यक है।

•उद्योगों से अपेक्षा की जाती है कि वे जल के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के माध्यम से अपनी जल खपत को कम करें। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शर्तें भी शामिल है कि 'जहाँ तक संभव हो, हरित पट्टी (बागवानी) के लिए जल की आवश्यकता पुनर्चक्रित/उपचारित अपशिष्ट जल से पूरी की जाएगी।'

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी सिंचाई में उपचारित अपशिष्ट (औद्योगिक) के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं (https://cpcb.nic.in/NGT/Guidelines-UTE-Irrigation.pdf) ।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत, घरेलू अपशिष्ट जल उपचार और ग्रेवाटर के पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों पर विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रभावी ग्रेवाटर प्रबंधन हेतु स्थानीय मिट्टी और स्थान की परिस्थितियों के अनुरूप सोखने वाले गड्ढे, लीच पिट और मैजिक पिट जैसी कम लागत वाली, विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं। परिवारों को भी किचन गार्डन के लिए ग्रेवाटर के पुन: उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे मीठे पानी की मांग में कमी आती है। सामुदायिक स्तर पर, जनसंख्या के आकार, भूमि की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर सामुदायिक लीच पिट, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, निर्मित आर्द्रभूमि, फाइटोरिड प्रणालियाँ, डीईडब्ल्यूएटीएस और मृदा जैव प्रौद्योगिकी (एसबीटी) जैसे समाधान अपनाए जा रहे हैं। इन प्रणालियों से उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग सिंचाई, लैंडस्केपिंग, शौचालय फ्लशिंग, औद्योगिक उपयोग, निर्माण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जलीय कृषि के लिए किया जाता है।

एएमआरयूटी के अंतर्गत, 34,446.64 करोड़ रुपये की लागत वाली 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए 1,437 एमएलडी सहित 4,622.61 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन हुआ है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), गंगा बेसिन में उपचारित जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी के सहयोग से, एनएमसीजी द्वारा उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया गया और जारी किया गया है। इसके साथ-साथ, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एण्ड काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एण्ड वाटर के सहयोग से, एनएमसीजी द्वारा शहर स्तरीय कार्य योजनाएँ तैयार करने हेतु एक टूलकिट भी जारी की गई है। उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग को भी गंगा बेसिन में शहरी नदी प्रबंधन योजना के दस स्तंभों में से एक स्तम्भ के रूप में शामिल किया गया है।

केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य, भूजल विभाग, भूजल के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए "भूजल संरक्षण और पुनर्भरण" नामक राज्य योजना के अंतर्गत कृत्रिम भूजल पुनर्भरण उपायों को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना विभिन्न तरीकों से भूजल पुनर्भरण पर केंद्रित है जैसे कि कुआं पुनर्भरण, बारिश के गड्ढों और बोरवेलों का छत पर वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण, छोटे चेक डैम का निर्माण और भूजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खुले तालाबों का जीर्णोद्धार। चालू वित्त वर्ष में उक्त योजना के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

हैं और कार्यान्वयन के लिए क्रिटिकल और सेमी- क्रिटिकल ब्लॉकों जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है, जो जल की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए लक्षित दृष्टिकोण को दर्शाता है। तथापि, विभाग द्वारा केरल के तटीय क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

उपरोक्त राज्य योजना के अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश के 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में एक समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) की शुरुआत "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" टैगलाइन के साथ की थी। इस अभियान का विस्तार केरल के तटीय क्षेत्रों सहित देश भर के सभी जिलों, ब्लॉकों और नगर पालिकाओं को कवर करने के लिए किया गया था। केरल में जेएसए: सीटीआर अभियान का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

जेएसए: सीटीआर को अधिक मजबूत बनाने के लिए, 06 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई, जो संतृप्त मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक एकजुटता को तेज करने पर केंद्रित है। जल संचय कार्यक्रम गुजरात में सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आदि का लाभ उठाकर बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके वर्षा जल का संचयन करने, भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संबंधी मुद्दों के लिए कम लागत वाला स्थानीय समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 13 अगस्त, 2025 तक, जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत कुल 33.73 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं की रिपोर्ट है। केरल राज्य के लिए जेएसजेबी का विवरण **अनुलग्नक-II (क) और II (ख)** में संलग्न है।

(ग): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण, जन जागरूकता सृजन सहित जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का है।

हालाँकि, भारत सरकार ने जल संरक्षण के महत्व के प्रति जनता को जागरूक करने और जल उपयोग के तरीकों में व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) सहित कई पहलें की हैं। जागरूकता सृजन, जेएसए: सीटीआर अभियान के पाँच प्रमुख प्रयासों में से एक है, जिसका उद्देश्य जल संबंधी चुनौतियों और संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है और जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलने पर बल देना है।

जन भागीदारी को और मज़बूत करने के लिए, 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई। यह पहल समुदायों, सिविल सोसायटी और स्थानीय सरकारों द्वारा सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है ताकि समाज के समग्र दृष्टिकोण और समग्र सरकार के समग्र दृष्टिकोण के तहत कम लागत वाले, स्थानीय रूप से उपयुक्त जल संरक्षण समाधानों को लागू किया जा सके। इस पहल के तहत, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन

(एनडब्ल्यूएम), विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से, जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करने के लिए कई सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

पहुच को और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने युवा कार्यक्रम विभाग के साथ सहयोग किया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और बिहार सहित इसके युवा क्लबों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाया गया, ताकि जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत जल संरक्षण प्रयासों में जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

जेएसए: सीटीआर के भाग के रूप में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। ये केंद्र संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, तथा जल-संबंधी मुद्दों पर जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमे सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन करते हैं, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और जल संरक्षण कार्यनीतियों के लिए लोकल हेतु के रूप में कार्य करते हैं। देश भर में 712 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण पर महत्वपूर्ण संदेशों के प्रसार हेतु नियमित रूप से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। विभाग सूचनात्मक सामग्री शेयर करने और इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी करता है।

इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रयासों की सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए है। ये पुरस्कार कई श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं; जिनमें अन्यों के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ ज़िला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ उद्योग आदि श्रेणियाँ शामिल हैं। ये पुरस्कार जल संरक्षण के सफल मॉडलों को उजागर करते हैं और उनकी सराहना करते हैं तथा ऐसी परिपाटियों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पहल के माध्यम से, जल संरक्षण, सतत स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई संबंधी पद्धतियों को बढ़ावा देने में महिलाओं के अनुकरणीय योगदान की सराहना करता है। यह सराहना जल संरक्षण और उसके सतत उपयोग की दिशा में समुदाय-संचालित प्रयासों का नेतृत्व करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, चल रहे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत, विभिन्न क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के कई नवीन मॉडल देखे गए हैं, जो स्थानीय रूप से अनुकूलित और समुदाय-संचालित समाधानों की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। अगस्त 2020 से एक अलग आउटरीच पहल, " जिला मजिस्ट्रेट के साथ संवाद" की गई है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर जल संरक्षण में अपने क्षेत्र-स्तरीय नवाचारों और अनुभवों को साझा करते हैं, क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देते हैं और सफल परिपाटियों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी बिहार में जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों सहित विभिन्न हितधारकों को सुग्राही बनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित करता है। वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक कुल 70 पीआईपी आयोजित

किए गए, जिनमें 6986 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा, वर्ष 2012 से वर्ष 2025 तक 25 टियर-III प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कुल 3339 लोगों को भूजल संबंधी अन्य मुद्दों के साथ-साथ सतत जल उपयोग और संरक्षण परिपाटियों के संबंध में जागरूक किया गया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों में लोगों के बीच जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सामग्री, सामुदायिक आउटरीच, स्कूल कार्यक्रमों, मास मीडिया अभियानों और ऑनलाइन सहभागिता के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा गंगा उत्सव, गंगा रन, गंगा राफ्टिंग अभियान, ट्रेकिंग, सामाजिक संदेश हेतु **घाट पर हाट** सहित कई अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। 139 जिला गंगा समितियों (डीजीसी) का गठन किया गया है तथा विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी अनिवार्य मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। एनएमसीजी ने नदी और जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, साथ ही जागरूकता लाने, लोगों को सुग्राही बनाने और निर्मल गंगा तथा अविरल गंगा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आईईसी अभियान भी चलाए हैं।

नमामि गंगे ने सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण और गंगा संरक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 53 दिवसीय महिला रिवर राफ्टिंग अभियान आयोजित किया। यह अभियान महिलाओं की नेतृत्व करने की शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है, चूकि वे पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के संदेश को बढ़ाने के लिए एक साथ आगे आई हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) जागरूकता अभियान जिम्मेदारी पूर्वक जल का उपयोग करना, जल की बर्बादी को कम करना और जल संसाधनों के लिए स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देकर जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। ये अभियान समुदायों को सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं, जल प्रबंधन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु सशक्त बनाते हैं। यह मिशन जल संबंधी सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को शामिल किया गया है।

इन संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य निरंतर जागरूकता को बढ़ावा देना और समाज के विभिन्न वर्गों में जिम्मेदारीपूर्ण जल-उपयोग व्यवहार को प्रोत्साहित करना है।

*****

अनुलग्नक I

"शहरी जल पुनर्चक्रण" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4753 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान:कैच दी रेन						
राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय						
केरल-कार्यकलाप-वार प्रगति (22-03-2021 से 19-08-2025 की स्थिति के अनुसार)						
जेएसए वर्ष	**जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन**	**पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण**	**पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं**	**वाटरशेड विकास**	**जल संबंधी कुल कार्य (वर्ष-वार)**	**गहन वनीकरण**
2021	**30008**	**9592**	**20972**	**66818**	**127390**	**433691**
2022	**21432**	**9352**	**15631**	**67782**	**114197**	**378807**
2023	**29073**	**15573**	**28757**	**97673**	**171076**	**19419**
2024	**25558**	**15018**	**35039**	**91099**	**166714**	**13366**
2025	**8140**	**3402**	**7462**	**30294**	**49298**	**3389**
कुल	**114211**	**52937**	**107861**	**353666**	**628675**	**848672**

अनुलग्नक II (क)

"शहरी जल पुनर्चक्रण" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4753 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

केरल - जल संचय जन भागीदारी 1.0 के अंतर्गत जिला-वार प्रगति			
(31.05.2025 की स्थिति के अनुसार)			
क्रम सं.	**राज्य**	**जिला**	**पूर्ण किये गये कार्य**
1	केरल	अलाप्पुझा	17
2	केरल	एर्नाकुलम	108
3	केरल	इडुक्की	107
4	केरल	कन्नूर	171
5	केरल	कासरगोड	574
6	केरल	कोल्लम	65
7	केरल	कोट्टायम	96
8	केरल	कोझीकोड	58
9	केरल	मलप्पुरम	39
10	केरल	पलक्कड़	3142
11	केरल	पठानमथिट्टा	118
12	केरल	तिरुवनंतपुरम	226
13	केरल	त्रिशूर	536
14	केरल	वायनाड	139
कुल			**5396**

अनुलग्नक II (ख)

"शहरी जल पुनर्चक्रण" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4753 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

केरल - जल संचय जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत जिला-वार प्रगति					
(19.08.2025 की स्थिति के अनुसार)					
क्रम सं.	**राज्य**	**जिला**	**पूर्ण किये गये कार्य**	**चल रहे कार्य**	**कुल कार्य**
1	केरल	अलाप्पुझा	0	1	1
2	केरल	एर्नाकुलम	0	1	1
3	केरल	इडुक्की	0	67	67
4	केरल	कन्नूर	95	32	127
5	केरल	कासरगोड	0	56	56
6	केरल	कोल्लम	0	3	3
7	केरल	कोट्टायम	0	37	37
8	केरल	कोझीकोड	248	0	248
9	केरल	मलप्पुरम	0	28	28
10	केरल	पलक्कड़	0	2691	2691
11	केरल	पठानमथिट्टा	0	362	362
12	केरल	तिरुवनंतपुरम	0	193	193
13	केरल	त्रिशूर	0	611	611
14	केरल	वायनाड	0	153	153
कुल			**343**	**4235**	**4578**

*****